



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2009/आश्विन 15, 1931

No. 190]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2009/ASVINA 15, 1931

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।"

अधिसूचना

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2009

[विज्ञापन III/4/100/09-असा.]

सं. भा.आ.प. 18(1)/2009-मेडि./41285.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में पुनःसंशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

पाठ टिप्पणी :—प्रधान विनियमावली नामतः "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" दिनांक 7 अक्टूबर, 2000 को भारत के राजपत्र के भाग III, धारा 4 में प्रकाशित की गई थी और इसे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की दिनांक 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009 तथा 21-7-2009 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

1. (i) इन विनियमों को "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (संशोधन), नियमावली, 2009 भाग-II" कहा जाए।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

(ii) ये सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2009

2. "स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियमावली, 2000" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

No. MCI. 18(1)/2009-Med./41285.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous approval of the Central Government hereby makes the following Regulations to further amend the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", namely :—

3. खण्ड 8 (1) में निम्नलिखित जोड़ा जाएगा :—

"तथापि ऐसे मेडिकल कालेज/संस्थान, एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्रदान करने हेतु जिन्हें अभी तक मान्यता नहीं दी गई है, वे तीसरे नवीकरण के समय-अर्थात् एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के चौथे बैच के दाखिले के साथ, शरीर-रचना-विज्ञान, शरीर-क्रिया-विज्ञान, जीव-रसायन विज्ञान, औषध-विज्ञान, फोरेसिक-मेडिसिन एवं कम्युनिटी मेडिसिन के प्री-नैदानिक और पारा-नैदानिक विषयों में स्नातकोत्तर

1. (i) These Regulations may be called the "Postgraduate Medical Education (Amendment) Regulations, 2008 Part-II".

(ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Postgraduate Medical Education Regulations, 2000", the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—

3. In clause 8(1), the following shall be added :—

"However, the medical college/institute which is not yet recognised by Medical Council of India for the award of MBBS degree may apply for starting of a postgraduate course in pre clinical and para clinical subjects of Anatomy, Physiology, Biochemistry, Pharmacology, Forensic Medicine and Community Medicine at

the time of third renewal-i.e., alongwith the admission of fourth batch for the MBBS course."

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4./100/09-Exty.]

Foot Note :—The Principal Regulations namely, "Post-graduate Medical Education Regulations, 2000", were published in Part-III, Section 4 of the Gazette of India on the 7th October, 2000, and amended *vide* MCI notification dated 3-3-2001, 6-10-2001, 16-3-2005, 23-3-2006, 20-10-2008, 25-3-2009 and 21-7-2009.